

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के C.L. No. 25/Admin.
(A) दिनांकित 13.07.1998 के क्रम सं०-3, के अनुपालन में मेरे द्वारा इस कार सं०
U.P. 15DB 0359 के अतिरिक्त न्यायिक सेवा में आने के बाद मूल वेतन से अधिक
मूल्य की कोई भी चल/अचल सम्पत्ति क्रय नहीं की गयी है।

Achana Rani
09-02-2022

(अर्चना रानी)

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सं०-5,
गाजियाबाद।

दिनांक 09.02.2022

